



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज०)
पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या-128/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक-29.07.2025

निर्णय दिनांक-04.12.2025

उमर पुत्र नबी खां जाति मुसलमान (लोहार) निवासी ग्राम कठमाना तह० पीपलू जिला टोंक (राज०)

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र गोर्धन जाति यादव (अहीर) निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
2. रतनल पुत्र गोर्धन जाति यादव (अहीर) निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
3. राकेश पुत्र मदन जाति यादव (अहीर) निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
4. नीतू पुत्र मदन जाति यादव (अहीर) निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
5. प्रेम देवी पुत्री मदन जाति यादव (अहीर) निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
6. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज०)
7. उप पंजीयक पीपलू जिला टोंक (राज०)
8. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, शाखा निवाई जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण


अधिवक्ता वादी-श्री ओमप्रकाश यादव एड०

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08-अनुपस्थित

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए व 188


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)



निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी उमर बनाम जगदीश वगै० प्रकरण संख्या 128/2025 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख०न० 3246 रकबा 0.1770 हैक्ट. व ख०न० 3252 रकबा 0.0632 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना, तह० पीपलू जिला टॉक (राज०) में स्थित है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2024 को खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 जगदीश, रतन, राकेश पि० मदन, नीतू पुत्री मदन, प्रेम देवी पत्नि मदन जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना से खरीद की है। तब से वादी उक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में वादी को आवश्यकता होने पर अपनी खरीदशुदा भूमि ख०न० 3246, 3252 की जमाबंदी निकलवाने पर जानकारी हुई कि उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी के नाम नहीं हुआ है तथा जमाबंदी में पूर्व विक्रेतागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर बैंक का रहन दर्ज है। वादी ने अपने पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति लेकर तहसीलदार पीपलू के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने बताया कि जब तक भूमि रहन मुक्त नहीं हो जाती है, तब तक हम उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज नहीं कर सकते हैं। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 से मिलकर उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाने एवं रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने बाबत प्रतिवादी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। तत्कालीन खातेदारान् द्वारा उक्त वर्णित भूमि को वादी को विक्रय कर दिया था। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार अधिकार स्वामित्व वादी के हक में निहित हो चुके थे, किन्तु वादी के हक में हुए विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात भी बैंक के रहन रख दी। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इस कारण बैंक के हक में किया गया रहन का अंकन वादी के हितों के प्रति शून्य है। प्रतिवादी द्वारा वादी को विक्रय की गई उक्त भूमि ख०न० 3246 व 3252 पर जो ऋण लिया गया है। उसकी पूर्ति प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की अन्य चल अचल संपत्ति व भूमि पर रहन करने का आदेश दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादी उक्त वर्णित खरीदशुदा भूमि का मालिक, स्वामी है। अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 बाबत उद्घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज पारित फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात भूमि ख०न० 3246 रकबा 0.1770 हैक्ट. सम्पूर्ण व भूमि आराजी ख०न० 3252 रकबा 0.0632 हैक्ट. हिस्सा 1/30 वाके ग्राम कठमाना का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के स्थान पर वादी के नाम का अंकन कराया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की अन्य भूमि पर अधिभार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे।


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)



साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्तियों के माध्यम से वादी की खरीदशुदा भूमि में मजामहत व मदाखलत नही करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथार्थिती बनाये रखे तथा वादी के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजी के उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड एडी. जारी की गई। प्रतिवादीगण की तामिल हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 स्वयं वादी उमर पुत्र नबी जाति मुसलमान निवासी ग्राम कठमाना, तह0 पीपलू ने अपने शपथ पत्र में कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 भूमि आराजी ख0न0 3246 रकबा 0.1770 हैक्ट. व ख0न0 3252 रकबा 0.0632 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना, में स्थित है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2024 को खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 जगदीश, रतन, राकेश पि0 मदन, नीतू पुत्री मदन, प्रेम देवी पत्नि मदन जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना से खरीद की है। तब से वादी उक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में वादी को आवश्यकता होने पर अपनी खरीदशुदा भूमि ख0न0 3246, 3252 की जमाबंदी निकलवाने पर जानकारी हुई कि उक्त भूमि का नामान्तरण वादी के नाम नही हुआ है तथा जमाबंदी में पूर्व विक्रेतागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर बैंक का रहन दर्ज है। वादी के हक में हुए विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात भी बैंक के रहन रख दी। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। इस कारण बैंक के हक में किया गया रहन का अंकन वादी के हितों के प्रति शून्य है। प्रतिवादी द्वारा वादी को विक्रय की गई उक्त भूमि ख0न0 3246 व 3252 पर जो ऋण लिया गया है। उसकी पूर्ति प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की अन्य चल अचल संपत्ति व भूमि पर रहन करने का आदेश दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अंतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 बाबत् उद्घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज पारित फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात भूमि ख0न0 3246 रकबा 0.1770 हैक्ट. सम्पूर्ण व भूमि आराजी ख0न0 3252 रकबा 0.0632 हैक्ट. हिस्सा 1/30 वाके ग्राम कठमाना का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के स्थान पर वादी के नाम का अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की अन्य भूमि पर अधिभार दर्ज किये

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)



जाने का आदेश प्रदान करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को जरिये खरीद पत्र में चाही गई अधियाचना अनुसार पाबन्द किया जावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी की नकले प्रदर्श-1, प्रदर्श-2 व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श-03 प्रस्तुत किये गये।

साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 02 नानगराम पुत्र लादूराम जाति मीणा निवासी ग्राम कठमाना ने शपथ पत्र में कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 3246 रकबा 0.1770 हैक्ट. व ख0न0 3252 रकबा 0.0632 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना में स्थित है, जो वादी की खरीदशुदा भूमि है। उक्त आराजीयात पूर्व में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम अंकित थी। जिसको वादी ने लगभग 01 वर्ष पूर्व खरीद कर कब्जा संभाल लिया था। तब से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है तथा वर्तमान में वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है। उक्त भूमि को एक वर्ष पूर्व जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2024 को खरीद की थी। जिसमें में स्वयं विक्रय पत्र में गवाह था। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 5 ने उक्त आराजीयात को बेचकर मौके पर वादी को कब्जा संभलवा दिया था। इसलिए उक्त भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है तथा प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि को बेचान करने के बाद किसी प्रकार का कोई कब्जा काशत नहीं रहा है।

साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 03 नेहनूलाल पुत्र सोहन बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम कठमाना ने शपथ पत्र में कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 3246 रकबा 0.1770 हैक्ट. व ख0न0 3252 रकबा 0.0632 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना में स्थित है, जो वादी की खरीदशुदा भूमि है। उक्त आराजीयात पूर्व में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम अंकित थी। जिसको वादी ने लगभग 01 वर्ष पूर्व खरीद कर कब्जा संभाल लिया था। तब से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है तथा वर्तमान में वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है। उक्त भूमि को एक वर्ष पूर्व जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2024 को खरीद की थी। तब से ही मैंने वादी को उक्त भूमि पर काशत करते देखा है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 5 ने उक्त आराजीयात को बेचकर मौके पर वादी को कब्जा संभलवा दिया था। इसलिए उक्त भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है तथा प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि को बेचान करने के बाद किसी प्रकार का कोई कब्जा काशत नहीं रहा है।

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 3246 रकबा 0.1770 हैक्ट. व ख0न0 3252 रकबा 0.0632 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित है। जिसका वादी खातेदार काशतकार है। जिस पर वादी काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने जरिये

34 खण्ड आधकारी
पीपलू (टोंक)






रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2024 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। वादी ने असल विक्रय पत्र नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को दे दिया था तथा अपने नाम नामान्तरण खोलने की संतुष्टि प्राप्त कर वादी बाहर परदेश कमाने के कारण समय पर अपने हक में हुए विक्रय पत्र का नामान्तरण नहीं खुलवा सका। कुछ समय पश्चात विक्रेता प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 द्वारा बेची गई भूमि का नामान्तरण नहीं खुलाने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने के कारण, प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटीपूर्ण इन्द्राज का फायदा उठाकर उक्त भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया। जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का विक्रय पत्र होने के बाद भी नामान्तरण नहीं खुल सका है। जबकि नियमानुसार भूमि का विक्रेता द्वारा बेचान किये जाने पर समस्त हक व अधिकार क्रेता में समाहित हो जाते हैं तथा जो रहन का नामान्तरण खोला गया है। वह वादी के हितों के विधि विरुद्ध है। इस कारण पश्चात्कृति अंकन जो राजस्व रिकॉर्ड में हुए है। वह वादी के हितों के प्रतिकूल है। पत्रावली में दर्ज साक्ष्य से भी उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है और वादी ही काशत करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त वाद के साथ विक्रय पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है। जिसको किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड है, जो संदेह से परे है। तब तक वादी के हक में हुआ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में है, तो वादी के हक व अधिकारों को नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि जब विक्रेता रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपने नाम भूमि का हस्तान्तरण कर देता है, तो उसके सारे हक अधिकार तुरन्त क्रेता में समाहित हो जाते हैं, जो उक्त कानूनी नजीर RRT 2016-17 (1) Page 459, RRT 2011 Page 159 से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होते ही विक्रेता के समस्त हक व अधिकार क्रेता में निहित हो जाते हैं।

RRT 2012 (1) Page 374 में स्पष्ट किया गया है कि नामान्तरण एक सरसरी कार्यवाही है, जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में है। भूमि के क्रेता के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं।

RRT 2011-12 (Supp) Page 498, RRT 2009-10 (Supp) Page 411 से स्पष्ट है कि यदि प्रथम विक्रय पत्र हो जाने के पश्चात्कृति विक्रयपत्र या दस्तावेज शून्य होते हैं। जिनके पश्चात्कृति क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण वादी के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के पश्चात् कोई भी दस्तावेज हुए है, तो वह वादी के हितों के तक शून्य है।

वादी ने अपना वाद पत्र बखूबी दस्तावेज व मौखिक बयानों से सिद्ध है। उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चरमा होती है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज (विक्रय पत्र) से व मौखिक बयानों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर खरीद के पश्चात् वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि को रहन मुक्त कर प्रतिवादीगण की अन्य भूमि पर रहन भार दर्ज किया जावे। क्रेता का केवल नामान्तरण नहीं खुलाने से


उप उपड अधिकारी
पीपलू (टॉक)





उसको अपने हक अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है, क्योंकि नामान्तरण एक सरकारी कार्यवाही है। जिससे किसी के हक अधिकार तय नही होते है। ऐसी स्थिती में वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करे।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, साक्ष्य शपथ पत्रो का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता वादी की लिखित बहस पर मनन किया गया। उक्त विक्रयपत्र पत्र एक पंजीबद्ध विक्रय पत्र है। जिसके अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के द्वारा बिलएवज मुबलिंग 1,00,000 रुपये अक्षरे एक लाख रुपये मात्र में विक्रय कर दिया है यानि बेचान कर दिया है ओर विक्रित भूमि की एवज में समस्त राशि क्रेतागण से नगद बाला बाला रुबरु गवाहन मौके पर प्राप्त कर ली है। अब क्रेतागण से भी कुछ भी लेना शेष नही रहा है। क्रेतागण से राशि नकद प्राप्तकर मौके पर कब्जा मालिकाना वास्तविक रूप से मौके पर जाकर चारो ओर की सीमाये बताकर कब्जा क्रेतागण को संभला दिया है। विक्रय पत्र में प्रतिफल राशि दिये/लिये जाने का अंकन है। वादी/क्रेता एक सद्भावी क्रेता है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रमांक 202403598100115 उप पंजीयक पीपलू द्वारा दिनांक 24.05.2024 रुबरु गवाहन विधिवत् पंजीबद्ध किया गया है। उक्त विक्रय पत्र किसी न्यायालय द्वारा अभी तक शून्य घोषित नहीं किया गया है। इस कारण वादी विवादित आराजीयात ख0न0 3246 रकबा 0.1770 हैक्ट. हिस्सा पूर्ण व ख0न0 3252 रकबा 0.0632 हैक्ट. हिस्सा 1/30 वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना के खातेदारी पाने के हकदार है। लिखित बहस में प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि भूमि आराजी ख0न0 3246 रकबा 0.1770 हैक्ट. हिस्सा पूर्ण व ख0न0 3252 रकबा 0.0632 हैक्ट. हिस्सा 1/30 वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना में वादी को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू विवादित आराजीयात को रहन मुक्त कर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नाम विलोपित कर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित खरीदशुदा आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। सज्जमहत् व मदाखलत नहीं करे। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफतर दाखिल हो।



(गणराज बडगोती आर.ए.एस.)
जिला दफतर (पंचकुला)
पीपलू (हिमाचल)

डिक्री मुकदमा इत्दाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

उमर पुत्र नबी खां जाति मुसलमान (लोहार) निवासी ग्राम कठमाना, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

जगदीश पुत्र गोर्खन जाति यादव (अहीर) निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 08) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 128 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री ओमप्रकाश यादव एड0 मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण अनुपस्थित मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर डिक्री दी जाती है कि भूमि आराजी ख0न0 3246 रकबा 0.1770 हैक्ट. हिस्सा पूर्ण व ख0न0 3252 रकबा 0.0632 हैक्ट. हिस्सा 1/30 वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना में वादी को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू विवादित आराजीयात को रहन मुक्त कर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नाम विलोपित कर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित खरीदशुदा आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मजामहत व मदाखलत नहीं करे।

निजी.....मबलिक..... बाबत..... खर्चा इस

मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी

तक.....को अदा करे।


वसूहत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04.12.2025 को जारी की गई।



दस्तख्त.....
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा.....पीपलू (टोंक).....

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।


उप खण्ड आधकारा
बीपलू (टॉक)